



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1196]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2013/ज्येष्ठ 3, 1935

No. 1196]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2013/JYAISTHA 3, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2013

का.आ. 1350(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन तथा अगले आदेशों तक, सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 (2002 का 69) के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं. 11030/2/2012-यू टी एल]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2013

S.O. 1350(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Suppression of Unlawful acts against safety of Maritime Navigation and fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002 (69 of 2002).

[F.No. 11030/2/2012-UTL]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.